भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2652
19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

मछुआरों का पंजीकरण

2652. श्री मद्दीला गुरुमूर्तिः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कितने मछुआरों ने अपना पंजीकरण कराया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मछुआरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का कोई प्रावधान जारी नहीं किया गया है ।

(ख) चूंकि 'मात्स्यिकी' राज्य का विषय है, अत: कुछ तटीय राज्य मछुआरों और विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों से जुड़े सभी लोगों का डेटा एकत्र करने के लिए मछुआरों का पंजीकरण कर रहे हैं। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अंतर्देशीय और समुद्री मछुआरों के सांख्यिकीय डेटा को संकलित करती है । हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स (2022) के अनुसार 2020-21 के दौरान देश में 49,45,718 समुद्री मछुआरे थे । इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् रियलक्राफ्ट पोर्टल में तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पंजीकृत मत्स्यन नौकाओं के पंजीकरण का डेटा भी रखता है। अब तक, 2,55,348 मत्स्यन नावें रियलक्राफ्ट पोर्टल में पंजीकृत हैं।

(ग) भारत सरकार मछुआरों को बायोमेट्रिक पहचान पत्र और क्यूआर कोडित पीवीसी आधार कार्ड जारी करती है ताकि वे भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकें, साथ ही तटीय सुरक्षा एजेंसियों को समुद्र में मछुआरों की पहचान करने की सुविधा भी उपलब्ध हो । अब तक 19,21,329 मछुआरों को बायोमेट्रिक पहचान पत्र जारी किए गए हैं और 12,40,869 मछुआरों को क्यूआर कोडित पीवीसी आधार कार्ड जारी किए गए हैं ।

***